न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :– कीर्ति राठौड़, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 02 / 2024 (डूंगरपुर आर्डर)

श्रीमती मणी पत्नी सोमा कटारा, निवासी बनकोडा, तहसील आसपुर, जिला डूंगरपुर (राज.)

..... अपीलान्ट

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, आसपुर, जिला डूंगरपुर (राज.)

.....रेस्पोन्डेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व
अधि.1956 विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी, आसपुर
दिनांक 25.07.2024 प्रकरण संख्या 03 / 2020

———::———

उपस्थित :– 1– श्री लालसिंह चुण्डावत अभिभाषक अपीलान्ट
2– पैरोकार सरकार

———::———

निर्णय **दिनांक 16–06–2025**

अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय में हाल अपीलान्ट ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादीया के दादा हुका पिता वाला मीणा की आराजी नंबर 2349 रकबा 4 बिस्वा भूमि ग्राम बनकोडा में स्थित है। सेटलमेन्ट के दौरान उक्त आराजियात के नये नंबर 3360 रकबा 4 बिस्वा बने। वादीया के दादा हुका की मृत्यु पश्चात वादीया के पिता धूला अशिक्षित होने से नामान्तरकरण दर्ज नहीं करवाया, जिसका नाजायज लाभ उठाकर राजस्व कर्मचारियों ने वादीया के पिता धूला का नाम अंकित नहीं किया, किन्तु कब्जा आज भी वादीया का आराजी नंबर 3360 पर चला आ रहा है। अतः आराजी नंबर 3360 रकबा 4 बिस्वा की इन्द्राज दुरस्ती की जाकर वादीया के नाम दर्ज किये जाने का आदेश प्रतिवादी को दिया जावे।

अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 25.07.2024 को आदेश पारित करते हुए प्रार्थना पत्र पोषणीय नहीं होने से खारिज कर दिया तथा पुनश्चः लिखित हुए अंकित किया कि राज्य सरकार द्वारा भूमि एलोटमेन्ट संबंधित शिविर लगने पर प्राथमिकता से नियमानुसार आवंटन किये जाने स्वतंत्र रहेगी, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट द्वारा दिनांक 09–09–2024 को यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.07.04 14:30:49 IST
Reason: SelfAttested

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोन्डेन्ट को जरिये सम्मन सूचना दी गई, जिस पर रेस्पोन्डेन्ट की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित हुए। अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अधिवक्ता ने मीमों आफ अपील में वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय ने प्रस्तुत दस्तावेजों पर कोई गौर नहीं किया है। अपीलान्ट का अपने पूर्वजों के समय से विवादित आराजी पर कब्जा चला आ रहा है, किन्तु राजस्व कर्मचारियों द्वारा सेटलमेन्ट से समय अपीलान्ट के पिता धूला का नाम अंकित नहीं कर बिलानाम दर्ज कर दी, लेकिन अधीनस्थ न्यायालय इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया एवं प्रार्थना पत्र पोषणीय नहीं मानते हुए खारिज कर दिया, जो त्रुटि पूर्ण होने से अपास्त योग्य है। अतः अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश अपास्त किया जावे तथा इन्द्राज दुरस्ती का आदेश फरमाया जावे। अपने कथन के समर्थन में माननीय राजस्व मण्डल अजमेर के निर्णय दिनांक 03–12–2012 उदयलाल व अन्य बनाम सरकार की फोटो प्रति प्रस्तुत की।

उक्त बहस का खण्डन करते हुए विद्वान पैरोकार सरकार ने अधीनस्थ न्यायालय के उक्त आदेश को विधि सम्मत बताते हुए अपील खारिज करने का निवेदन किया।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम में पारित निर्णय के विरूद्ध अपीलान्ट द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गयी है, जिसका श्रवणाधिकार/क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को नहीं होने से अपील इसी आधार पर खारिज की जाती है। अपीलान्ट उक्त निर्णय के विरूद्ध सक्षम न्यायालय में अपील प्रस्तुत करने हेतु स्वतंत्र हैं। निर्णय आज दिनांक 16–06–2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

(कीर्ति राठौड़)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.07.04 14:30:49 IST
Reason: SelfAttested